

**<sup>1</sup>[धारा 49क : कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग**

धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के मद्दे, केवल तब किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।]

**उपयुक्त नियम: नियम 88क**

---

---

<sup>1</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा धारा 49क अंतःस्थापित। अधिसूचना 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।